

व्यापार उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट 2020-21

खंड-क: सामान्य प्रकटीकरण

- I. सूचीबद्ध संस्था के ब्यौरे
 - 1 कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन यू45203यूआर1988जीओआई00982)
 - 2 कंपनी का नाम : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
 - 3 पंजीकरण का वर्ष : 1988
 - 4 पंजीकृत पता : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
 - 5 कॉरपोरेट पता : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश, उत्तराखंड
 - 6 ई मेल आई डी: : cmd@thdc.co.in
 - 7 दूरभाष संख्या : 0135-2473204
 - 8 वेबसाइट : www.thdc.co.in
 - 9 जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है: 2020-21
 - 10 उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैं: लागू नहीं
 - 11 संदत्त पूंजी: 3665.88 करोड़ रुपये (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)
 - 12 उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है:

श्री. पी.के. अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी),
गंगा भवन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, बाईपास
रोड, ऋषिकेश
(ईमेल- pkaggarwal@thdc.co.in
दूरभाष- 0135-2473204)
 - 13 रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है): समेकित

I. उत्पाद और सेवाएं**14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):**

क्रम सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	यूनिट के कारोबार का %
1.	विद्युत उत्पादन	जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन और बिक्री	100

15. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रम सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	विद्युत शक्ति	3510	100

II. प्रचालन**16. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:**

स्थान	संयंत्रों/निर्माणाधीन/विकास परियोजनाएं की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	15	10 (परियोजना कार्यालयों के अलावा)	25
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

17. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

टीएचडीसीआईएल विद्युत उत्पादन में लगी हुई है। राज्यों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को विद्युत आपूर्ति की जाती है।

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	11
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण—

उत्तरी क्षेत्र के नौ राज्यों, गुजरात और केरल को बिजली की आपूर्ति की जाती है।



III. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
कर्मचारियों						
1	स्थायी (घ)	842	793	94.18	49	5.82
2	स्थायी के अलावा (ङ)	6	4	66.66	2	33.33
3	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	848	797	93.98	51	6.02
कामगार						
4	स्थायी (च)	894	837	93.62	57	6.38
5	स्थायी के अलावा (छ)	4030	3819	94.76	211	5.24
6	कुल कामगार (च + छ)	4924	4656	94.56	268	5.44

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1	स्थायी (घ)	11	10	90.91	1	9.09
2	स्थायी के अलावा (ङ)	उपलब्ध नहीं				
3	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)	11	10		1	
दिव्यांग कामगार						
4.	स्थायी (च)	21	18	85.71	3	14.29
5.	स्थायी के अलावा (छ)	लागू नहीं				
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)	21	18		3	

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	8	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	1	33.33

20. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)

		वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2018-19 (पिछले वित्त वर्ष से पहले वर्ष में टर्नओवर दर)		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	सेवानिवृत्त	22	0	22	15	1	16	13	0	13
	इस्तीफा दिया	5	1	6	8	3	11	7	1	8
स्थायी कामगार	सेवानिवृत्त	59	7	66	35	7	42	45	3	48
	इस्तीफा दिया	0	0	0	0	0	0	13	1	14

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	धारक / सहायक/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या/ धारक/सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित संस्था, सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां / नहीं)
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी	74.49	हां
2.	टस्को लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां)





- (ii) कारोबार (रुपये में):- (कुल राजस्व)- 2501.93 करोड़ रुपए
(iii) नेट वर्थ (रुपये में):- 9917.43 करोड़ रुपये

VI. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतों/परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लैंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	i. वीपीएचईपी (हां) (आर एंड आर) (ऑफलाइन रजिस्टर एंट्री) ii. केएसटीपीपी (नहीं) iii. कॉर्पोरेट एस एंड ई (सीएसआर) (https://www.thdc.co.in/content/feedback&form)	i. 4 ii. लागू नहीं iii. शून्य	i. 4 ii. लागू नहीं iii. शून्य	i. जीआरसी प्रमुख (राजपत्रित अधिकारी) की पुनर्नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है।	i. 5 ii. लागू नहीं iii. शून्य	i. 5 ii. लागू नहीं iii. शून्य	i. पिछली बैठक दिनांक 15.11.2019 को आयोजित की गई थी

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंग प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शेयरधारक	हां	शून्य	शून्य	शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।	शून्य	शून्य	शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
कर्मचारी और कामगार	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग्राहक	कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र आधिकारिक वेबसाइट पर कर्मचारी लॉगिन के तहत उपलब्ध है	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य
मूल्य श्रृंखला भागीदार	वार्षिक फीडबैक फॉर्म और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठक के माध्यम से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



24. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इनकी पहचान करने के लिए औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित करें:

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
1	राख (ऐश) का निपटान	अवसर	अवसर अब फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योगों और अन्य निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योगों में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है।	फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र का उप-उत्पाद है। इसलिए, विनिर्माण उद्योगों में इसके 100% उपयोग के अवसर को राजस्व क्षमता के रूप में महसूस किया जा सकता है। खुरजा संयंत्र के प्रचालन के दौरान 25 वर्षों में लगभग 56.8 मिलियन क्यूबिक राख का उत्पादन होने की उम्मीद है क्योंकि परियोजना निर्माण चरण में है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाजार की मांग की वर्तमान स्थिति के संबंध में टीएचडीसीआईएल द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, दोनों उद्योगों से लगभग 24 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्रतिवर्ष की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।	बाजार की मौजूदा प्रवृत्ति के अनुसार फ्लाई ऐश की दर 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन (जो वास्तविक बिक्री के समय भिन्न हो सकती है) को देखते हुए, 120 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का संभावित वित्तीय प्रभाव आता है।

खंड-ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति / नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां/ नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? हां/ नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	*	*	वेब पर नहीं	*	*	*	वेब पर नहीं	*	—
2. क्या संस्था ने नीति का प्रक्रियाओं में अनुवाद किया है। (हां/ नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों को उपलब्ध हैं? (हां/ नहीं)	कृपया नीचे तालिका-1 का अवलोकन करें								
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/ प्रमाणन/ लेबल/ मानकों का नाम (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएच-एमएस, आईएसओ, बीआईएस) को आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।									
5. विशिष्ट समय-सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।									
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के सापेक्ष संस्था के प्रदर्शन साथ-साथ उन्हें पूरा न कर पाने की स्थिति में कारणों का उल्लेख।	सभी वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। तालिका-1 के अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।								
सुशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यापार उत्तरादायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है)									



प्रकटीकरण प्रश्न				पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9						
8. व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।									लागू नहीं									
9. क्या संस्था में बोर्डनिदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो सततता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।									लागू नहीं									
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:																		
समीक्षा के लिए विषय	इंगित करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपरोक्त नीतियों के सापेक्ष प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	संतोषजनक। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रदर्शन को मापा जाता है।									जब भी आवश्यक हो।								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	जब भी आवश्यक हो।								
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन कराया है? (हां/नहीं) । यदि हां , तो एजेंसी का नाम दें।											नहीं							

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारणों का उल्लेख करें:

प्रश्न	
संस्था अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है (हां/नहीं)	टीएचडीसीआईएल के पास सिद्धांत-9 के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि नीति की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत विवरण नीचे तालिका-1 में दिया गया है।
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)	
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या ध्मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)	
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

***पर्यावरण नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

<https://thdc.co.in/content/environment-policy>



***आर एंड आर नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

<https://thdc.co.in/content/rr-policy>

***सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

<https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf>

***टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommStrategy.pdf

***टीएचडीसीआईएल के विजन, मिशन और मूल्य निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:**

<https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues>

***कारपोरेट आचार नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf

***सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

<https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf>

***व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**

<https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf>

तालिका 1

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक
सिद्धांत 1 (पी1)	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित और सुशासित करना चाहिए।	- विजन, मिशन और मान्यताएं - आचरण अनुशासन और अपील नियम - कामगारों के लिए स्थायी आदेश - कारपोरेट आचार नीति - व्यापार आचार और नैतिकता संहिता - सीडीए नियम - सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति - सत्यनिष्ठा समझौता - टीएचडीसीआईएल का रिकॉर्ड प्रबंधन मैनुअल - टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति।	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)



सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति/नीतियां	उत्तरदायी निदेशक
सिद्धांत 2 (पी2)	व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।	- सुरक्षा नीति - सीएसआर और सततता नीति - ओएचएसएस 18001:2007	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी 3)	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।	- मानव संसाधन नीतियां - भर्ती और स्थानांतरण नीति	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी 4)	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	- आर एंड आर नीति - विजन और मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	- विजन, मिशन और मान्यताएं - मानव संसाधन नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी 6)	व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।	- पर्यावरण नीति - आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी 7)	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।	- आचार संहिता - मूल्य मान्यताएं	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी8)	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	- सीएसआर और सततता नीति - सीएसआर संचार कार्यनीति	निदेशक (तकनीकी)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक
सिद्धांत 9 (पी9)	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।	सिद्धांत-9 के तहत पहचाने गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। हालांकि, टीएचडीसीआईएल को लगता है कि सिद्धांत 9 पर एक अलग नीति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि: - टीएचडीसीआईएल लाभार्थियों (थोक ग्राहकों) को बिजली की आपूर्ति करता है, जिनमें से अधिकांश का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है। - विद्युत का आबंटन कुछ नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। - टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है। - नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और व्यक्तिगत लाभार्थी राज्य के बीच आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाता है। - मुद्दों, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाती है और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामान्य मंचों पर हल किया जाता है, जहां थोक ग्राहक और उत्पादक सदस्य होते हैं। - ग्राहकों (लाभार्थियों) से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए अलग से फीडबैक लिया जाता है।	



खंड – ग: सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके निष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण करने की आशा की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1 व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और सुशासन करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	01	1) नेतृत्व प्रबंधन और कल्याण	100%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	01	1) नेतृत्व प्रबंधन और कल्याण	100%
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	04	1) किसी संगठन में नैतिकता और मूल्य 2) नेतृत्व विकास कार्यक्रम 3) कोविड के समय के दौरान नेतृत्व की चुनौती 4) नेतृत्व विकास और कार्य जीवन संतुलन	6.49%
कर्मि	शून्य	शून्य	शून्य

2. निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/शास्ति/एवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण [नोट: संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी]:

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं)
शास्ति / जुर्माना	शून्य				
समझौता					
कंपाउंडिंग शुल्क					
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण		क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं)
गैर-मौद्रिक	शून्य				
कारावास					

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई पर अपील की गई है।

— लागू नहीं

4. क्या संस्था में भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

निगम में कोई विशिष्ट और अधिसूचित भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति नहीं है। हालांकि, सभी कर्मचारी,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा शासित हैं।

संगठन के कर्मचारी संगठन की आचार संहिता के साथ प्रवर्तनीय नीतियों के प्रति बाध्य हैं। आचार संहिता विशिष्ट नियमों का समूह है जिसे विशिष्ट प्रथाओं और व्यवहारों, जिन्हें प्रोत्साहित या प्रतिबंधित किया जाना है, को रेखांकित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आचार संहिता में यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है कि क्या संहिता का उल्लंघन हुआ है और विशिष्ट उल्लंघनों के लिए क्या दंड लगाया जाएगा।



विभिन्न नियमों/नीतियों/संहिताओं/विनियमों के रूप में निर्धारित आचार संहिता क विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(क) विजन, मिशन और मान्यताएं:

प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी के विजन और मिशन को पेशेवर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संगठन के मिशन को पूरा करने में सम्मान, चिंता, शिष्टाचार और जवाबदेही के साथ सेवा करना कर्मचारियों का कर्तव्य है। कर्मचारी को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। निगम के विजन और मिशन को पूरी लगन से आगे बढ़ाया जा रहा है और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

वेब-लिंक: <https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues>

(ख) आचरण, अनुशासन और अपील नियम:

इन नियमों को टीएचडीसीआईएल का आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1990 कहा जाता है। ये नियम अनियमित नियोजन या आकस्मिकताओं से भुगतान किए जाने वाले और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कंपनी के स्थायी आदेशों द्वारा शासित होने वाले कामगारों को छोड़कर, प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

इन नियमों का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है, और इस प्रकार कंपनी के हितधारकों द्वारा अधिकारियों में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को बनाए रखना है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दैनिक कार्यकरण में इस संहिता और मानकों के निर्धारित प्रावधानों से अवगत हों, इनका पालन करें, इन्हें अपनाएं और इन्हें बनाए रखें। इस संहिता में निर्धारित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं और अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानक निर्धारित करते हैं।

कामगारों के लिए मानक आदेश

इस अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियुक्ताओं को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण के बाद स्थायी आदेशों के रूप में उनके अधीन नियोजन

की शर्तों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना अपेक्षित है। यह प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 100 या अधिक कामगार (केंद्र सरकार ने उन प्रतिष्ठानों के संबंध में कम करके 50 कर दिया है जिनके लिए यह उपयुक्त सरकार है) कार्यरत हैं। स्थायी आदेश होने का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों को विनियमित करना है। ये आदेश औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के नियोजन की शर्तों, शिकायतों, कदाचार आदि को नियंत्रित करते हैं।

(ग) कारपोरेट आचार नीति:

टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष और पारदर्शी दृष्टिकोण के महत्व को बरकरार रखता है। ऐसा अपनी सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और लेनदेन में व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर किया जाता है। टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष व्यवहार और व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने कारपोरेट नैतिकता नीति, जो कंपनी और कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करती है, को अपनाया है।

यह नैतिकता नीति कथन, आकस्मिक रोजगार, संविदाकारी एजेंसियों, परामर्शदाताओं, व्यावसायिक संबंधों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों को छोड़कर, निदेशक मंडल के सदस्यों, कर्मचारियों सहित प्रतिनियुक्ति/ग्रहणाधिकार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है। सभी संबंधितों से अखंडता, निष्पक्षता और विवेक के मूल्यों के अनुरूप नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कर्तव्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों से टीएचडीसीआईएल, और इसके उद्देश्यों, प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रति अनन्य निष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

वेब- लिंक: https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf

(घ) व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता:

व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता बोर्ड के सदस्यों और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी

प्रक्रिया को बढ़ाना है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष रूप से तैयार की गई है।

इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना है। यह पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की मेरिट का न्याय करने के लिए एक आधार के रूप में भी कार्य कर सकती है।

वेब— fyad: <https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf>

(ड) सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति:

सीपीएसई द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने “सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश” को अनिवार्य बनाने और सभी सीपीएसई पर लागू करने का निर्णय लिया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति में उल्लेख किया गया है कि “कंपनी प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या आचरण या नैतिकता नीति पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। यह तंत्र, तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान कर सकता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच प्रदान कर सकता है। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के अस्तित्व को संगठन के भीतर उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।”

यह नीति कंपनी में नैतिक, सदाचारी और कानूनी व्यावसायिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य निम्नानुसार है:

— कर्मचारियों को कंपनी में अनैतिक और अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत आचरण की जानकारी होने की स्थिति में, सद्भावस्वरूप प्रबंधन या

असाधारण मामलों में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को पहुंचने का अवसर प्रदान करना।

— सद्भाव में सूचना प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करना

— प्रबंधकीय कार्मिकों को उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई करने से रोकना।

वेब— लिंक: <https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf>

(च) सत्यनिष्ठा समझौता:

टीएचडीसीआईएल ने भ्रष्टाचार को मिटाने/शमन करने के अपने प्रयास में टीएचडीसीआईएल प्रशासन में विभिन्न पैकेजों को प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने या लाभ उठाने का पालन किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। इसने भ्रष्टाचार की उच्च लागत और प्रभावों को कम करने के लिए आपसी संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को स्थापित किया है। इस समझौते में, संविदा के किसी भी पहलू पर किसी भी तरह के भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग नहीं करने के लिए, दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों / अधिकारियों को प्रतिबद्ध करने वाले संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और खरीदार के बीच समझौते की अनिवार्य रूप से परिकल्पना की गई है। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता जिन्होंने क्रेता के साथ ऐसा सत्यनिष्ठा समझौता किया है, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, इस समझौते को निष्पादित करना प्रारंभिक योग्यता होगी। किसी विशेष संविदा के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, निविदा के आमंत्रण के चरण से संविदा के पूर्ण निष्पादन तक प्रभावी होगा।

सत्यनिष्ठा समझौते में संगठन के लिए स्वीकृत स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के पैनल की परिकल्पना की गई है। स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करेगा कि पक्षकारों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।



5. ऐसे निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/ कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य			
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या				

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

— लागू नहीं

सिद्धांत 2 व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में क्रमशः आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) निवेश का प्रतिशत, कुल आरएंडडी और यूनिट द्वारा किए गए निवेश।

आर एंड डी विभाग	परियोजना का नाम	चालू वित्तीय वर्ष (2020–21) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय— 330.63 लाख रुपये	पिछला वित्तीय वर्ष (2019–20) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय— 610.63 लाख रुपये	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
1.	टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में परिनियोजित 18-स्टेशन भूकंपीय नेटवर्क तथा टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध में स्थापित 13-स्टेशन स्ट्रॉन्ग मोशन नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण ।	45.66%	23.12%	क्षेत्र के भूकंपीय परिवर्तन, यदि कोई हो, जो जलाशयों की बाढ़ाबंदी (इम्पाउंडमेंट) से जुड़ा हो, का आकलन करने के लिए यह नेटवर्क काफी महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग मोशन नेटवर्क टिहरी के आसपास के क्षेत्र में मध्यम और बड़े आकार के भूकंपों की घटना के दौरान मजबूत ग्राउंड मोशन डाटा भी एकत्र करता है । अध्ययन के परिणामों से पता चला कि इस क्षेत्र में जलाशय प्रेरित भूकंपीयता का कोई संकेत नहीं है। यह भूकंपीय डाटा क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजित/विकसित की जा रही अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होगा।
2.	टिहरी क्षेत्र (दीर्घकालिक) के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन ।	26.95%	53.85%	भूकंपीय नेटवर्क स्टेशनों के विस्तार और उन्नयन ने नेटवर्क को 07 फरवरी, 2021 के चमोली ग्लेशियर के विस्फोट, 12 फरवरी, 2021 के कजाकिस्तान भूकंप और कुछ अन्य दूरस्थ घटनाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाया।



क्र.सं.	परियोजना का नाम	चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय— 330.63 लाख रुपये	पिछला वित्तीय वर्ष (2019-20) कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय— 610.63 लाख रुपये	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
3.	प्रचालन अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करते हुए टिहरी बांध जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी करने के लिए परामर्श	12.79%	13.33%	प्रणाली वास्तविक समय में टिहरी जलाशय के प्रवाह के पूर्वानुमान में सक्षम है। इसलिए, निचले स्तर की आबादी के लिए बाढ़ प्रबंधन आदि द्वारा वित्तीय लाभ और पर्यावरणीय/सामाजिक लाभों को अधिकतम करने के लिए जलाशय का प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
4.	टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र से तलछट लब्धि का आकलन।	2.34%	1.54%	अध्ययन का लाभ टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में कटाव के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और उपयुक्त जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का सुझाव देना है। इस प्रकार, अध्ययन के परिणाम जलग्रहण क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में उपयोगी होंगे।

2. क. क्या संस्था में स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां / नहीं)

— हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

लगभग सभी खरीद स्थायी सोर्सिंग विधियों जैसे जीईएम पोर्टल, ई-टेंडरिंग आदि के माध्यम से की जाती हैं।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए उपयोगी काल के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनःप्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) — ऋषिकेश में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग-अलग अजैविक अपशिष्ट का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड — एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा

प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक अपशिष्ट जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए बनाए गए हैं। अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

(ख) ई-कचरा: टीएचडीसीआईएल में बहुत कम ई-अपशिष्ट है। सरकारी मानदंडों के अनुसार ई-कचरे का निपटान किया जाता है।

(ग) खतरनाक अपशिष्ट: खतरनाक अपशिष्ट नहीं है।

(घ) अन्य अपशिष्ट: उपरोक्त बिंदु (क) के समान अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

— लागू नहीं



सिद्धांत 3 व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का%									
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा	दुर्घटना बीमा	मातृत्व लाभ	पितृत्व लाभ	डे केयर सुविधाएं	स्वास्थ्य बीमा	दुर्घटना बीमा	मातृत्व लाभ	पितृत्व लाभ
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)
										% (च/क)
स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	793	लागू नहीं	लागू नहीं	793	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	04	0.005%	लागू नहीं
महिला	49	लागू नहीं	लागू नहीं	49	100%	01	0.02%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	842	लागू नहीं	लागू नहीं	842	100%	01	0.001%	04	0.005%	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों के अलावा										
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. कामगारों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	द्वारा कवर किए गए कामगारों का %									
	कुल (क)		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		गितृत्व लाभ	
	संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कामगार										
पुरुष	837	लागू नहीं	837	100%	शून्य	शून्य	02	0.0023%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	57	लागू नहीं	57	100%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	894	लागू नहीं	894	100%	शून्य	शून्य	02	0.002%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कामगारों के अलावा										
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण:

लाभ	वित्त वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	हां	100%	100%	हां
ग्रेजुटी	100%	100%	हां	100%	100%	हां
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
1) जीएसएलआई:-	86.22%	92.17%	हां	86.27%	92.93%	हां
क) परिपक्वता						
ख) दुर्घटना दावा						
2) जीएसएलआई के एवज में	13.78%	7.83%	हां	13.73%	7.07%	हां
क) नए कर्मचारी के लिए जीआई योजना						
ख) नए कर्मचारी के लिए दुर्घटना बीमा						

3. कार्यस्थलों की पहुंच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था के परिसर/कार्यालयों की पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिगम के कार्यान्वयन के अनुपालन में, कंपनी ने कंपनी के अधिकांश भवनों में रैंप बनाकर आसान पहुंच प्रदान की है। सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सभी प्रयास कर रही है। कंपनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को नामित करती रही है। कंपनी ने दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया है। कंपनी की समान अवसर नीति है और इसे अक्षरशः लागू किया जाता है।

4. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था में समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, https://thdc.co.in/sites/default/files/EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY_0.pdf

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की कार्य पर वापसी और प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी	
	कार्य दर पर लौटें	प्रतिधारण दर	कार्य दर पर लौटें	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%(4कर्मचारी)	100%	100%(2कर्मचारी)	100%
महिला	100%(1कर्मचारी)	100%	शून्य	शून्य
कुल	100%(5कर्मचारी)	100%	100%(2कर्मचारी)	100%

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हां / नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हां, कर्मचारियों की शिकायतों के लिए नीति दिशा-निर्देश और प्रक्रिया है जो शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आसानी से सुलभ तंत्र प्रदान करने पर लक्षित है और इससे कार्य पर संतुष्टि में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार हुआ है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हां, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक दिशा निर्देशों जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र क्रम में है।
स्थायी कर्मचारी	हां, कर्मचारियों की शिकायतों के लिए नीति दिशा-निर्देश और प्रक्रिया है जो शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आसानी से सुलभ तंत्र प्रदान करने पर लक्षित है और इससे कार्य पर संतुष्टि में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार हुआ है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हां, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक दिशा निर्देशों जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र क्रम में है।



7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (ओं) या संघ (संघों) में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	842	303	35.98%	845	315	37.27%
— पुरुष	793	303	38.20%	801	315	39.32%
— महिला	49	0	0%	44	0	0%
कुल स्थायी कामगार	894	786	87.91%	990	882	89.09%
— पुरुष	837	786	93.9%	923	882	95.57%
— महिला	57	0	0%	67	0	0%



8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)					वित्त वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	793	152	19.17%	238	30.01%	801	152	18.97%	437	54.55%
महिला	49	39	79.59%	45	91.83%	44	09	20.45%	23	52.27%
कुल	842	191	22.68%	283	33.61%	845	161	19.05%	460	54.44%
कामगार										
पुरुष	837	188	22.46%	04	0.48%	923	177	19.18%	503	54.50%
महिला	57	36	63.16%	0	शून्य	67	13	19.40%	38	56.72%
कुल	894	224	25.06%	04	0.45%	990	190	19.19	541	54.65%



9. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
पुरुष	793	793	100%	801	801	100%
महिला	49	49	100%	44	44	100%
कुल	842	842	100%	845	845	100%
कामगार						
पुरुष	837	837	100%	923	923	100%
महिला	57	57	100%	67	67	100%
कुल	894	894	100%	990	990	100%

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं)। यदि हां, ऐसी प्रणाली की कवरेज का उल्लेख करें?

- हां, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कवरेज "जल विद्युत परियोजनाएं / जल विद्युत संयंत्रों और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए डिजाइन, संविदा, गुणवत्ता आश्वासन, परामर्श और सहायता सेवा प्रदान करना है।"
- सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमावली परियोजनाओं के सभी कार्यपालकों को परिचालित कर दी गई है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और

संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

- संबंधित इकाइयां अपने कार्य संबंधी खतरों की पहचान करती हैं और तदनुसार कार्रवाई करती हैं।

ग. क्या कंपनी में काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

— हां

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)।

— हां

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति मिलियन-व्यक्ति के द्वारा कार्य किए गए घंटे)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
गम्भीर परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

- स्थल निरीक्षण:— संबंधित परियोजनाओं के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित स्थल निरीक्षण।
- सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमावली:— सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमावली परियोजना के सभी कार्यपालकों को परिचालित कर दी गई है।
- कानूनी आवश्यकताओं का कार्यान्वयन:— परियोजना में सभी कानूनी आवश्यकताओं अर्थात् कारखाना अधिनियम-1948, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम-1996 और सीईए विनियमन-2010 और अन्य

अपेक्षाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- सुरक्षा समिति:— कार्य स्थल पर उचित सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने में कामगारों और प्रबंधन के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और उसके लिए किए गए उपायों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए परियोजनाओं में सुरक्षा समितियों का गठन।
- सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम:— परियोजनाओं में समय-समय पर कामगारों के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- मॉक ड्रिल:— आपात स्थिति को कम करने के लिए कार्रवाई और प्रतिक्रिया समय का विश्लेषण करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



14. वर्ष के लिए आकलन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	शून्य
काम करने की स्थिति	शून्य

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हों) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

वर्ष में एक बार सभी परियोजनाओं की बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा की जाती है। संपरीक्षा की टिप्पणियों और निष्कर्षों को आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा के माध्यम से भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हम अपने हितधारकों को ऐसे व्यक्तियों और समूहों के रूप में परिभाषित करते हैं जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, या जो हमारे भविष्य के विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक हितधारक समूह के विविध हितों के कारण, जो हमारे प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होता है, हम अपने दृष्टिकोण, संचार चैनलों और जुड़ाव गतिविधियों को उपयुक्त के रूप में अपनाते हैं। इस अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से, हम लगातार अपने हितधारकों की अपेक्षाओं और मांगों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिरता कार्यनीति, रिपोर्ट और समग्र व्यावसायिक गतिविधियों में इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। अलग-अलग हितधारकों के अलग-अलग दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हितधारकों से जुड़ाव किया जाता है।



टिहरी बांध परियोजना को 'डैम सेपटी प्रोजेक्ट ऑफ दि ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया

उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों की पहचान को टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संरचना कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है। संचार, संगठन और इसके हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। संचार, सभी हितधारकों, विशेष रूप से कर्मचारियों को भली-भांति सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं विश्व स्तर पर स्वीकृत नैतिक प्रणालियों और सतत प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हैं, बल्कि बाहरी हितधारकों के साथ उनका जुड़ाव इन मूल्यों पर आधारित है।

2. आपकी संस्था के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति

हितधारक समूह	क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
सरकार और सांविधिक निकाय / एनटीपीसी	नहीं	- एमओयू पर हस्ताक्षर - पत्र-व्यवहार - वार्षिक रिपोर्ट - बैठकें - प्रस्तुतियां - साइट विजिट	- वार्षिक रूप से - पूरे वर्ष - वार्षिक रूप से - आवश्यकता पड़ने पर - आवश्यकता पड़ने पर - आवश्यकता पड़ने पर	पीएसयू होने के नाते, इक्विटी एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। सभी परियोजना अनुमोदन और मंजूरी। व्यवसाय चलाने के लिए कार्य-निष्पादन समझौता ज्ञापन और अन्य वैधानिक अपेक्षाएं।
कर्मचारी	नहीं	- पत्रिकाओं का प्रकाशन - शिकायत निवारण तंत्र - परिपत्र और कार्यालय आदेश - सांप्रदायिक कार्यक्रम - फीडबैक - सुझाव मेला	- त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक - पूरे वर्ष - पूरे वर्ष - पूरे वर्ष - पूरे वर्ष - वार्षिक	कर्मचारी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे रहते हैं और उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए समय-समय पर संवाद आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहक	नहीं	- पीपीए पर हस्ताक्षर - प्रतिक्रिया सर्वेक्षण - बैठक - पत्र - व्यवहार - बिल भेजना	- किसी भी परियोजना के चालू होने से ठीक पहले वार्षिक - आवश्यकता पड़ने पर वार्षिक	टीएचडीसीआईएल अन्य संबंधित संगठनों / एजेंसियों के साथ अपनी गतिविधियों को सिंक्रनाइज करके अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए त्वरित उपाय करता है और सहायता प्रदान करता है





हिटधारक समूह	क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार	नहीं	- निविदाएं - खुली बोली चर्चा - नीति और प्रक्रियाएं - बैठक - संयुक्त चर्चा	- आवश्यकता पड़ने पर - प्रत्येक एवार्ड पर - पूरे वर्ष - नियमित आधार पर - नियमित आधार पर	टीएचडीसीआईएल का मानना है कि परियोजना कार्यान्वयन में ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता और उनके कर्मचारी प्रमुख हितधारक हैं। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्शदाताओं की चिंताओं का नियमित रूप से समाधान किया जा रहा है।
परियोजना प्रभावित व्यक्ति / स्थानीय और स्वदेशी समुदाय	हां	- सीएसआर कार्यक्रम - बैठक - शिकायत निवारण - पत्रिका - पैम्फलेट/वेबसाइट - प्रकटीकरण - जन सूचना केंद्र	- पूरे वर्ष - आवश्यकता पड़ने पर - पूरे वर्ष - त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक - पूरे वर्ष - परियोजना स्थलों – प्रचालनात्मक संयंत्रों पर खोला गया	टीएचडीसीआईएल का एक मिशन “मानवीय दृष्टिकोण के साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन करना” है। टीएचडीसीआईएल पुनर्वासियों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अपने सीएसआर कोष का 90% खर्च कर रहा है।
मीडिया	नहीं	- प्रेस वार्ता - आयोजनों के लिए आमंत्रण	- पूरे वर्ष - पूरे वर्ष	टीएचडीसीआईएल ने संचित संचार उपकरण तैयार किए हैं और मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों) के साथ बातचीत के लिए कारपोरेट स्तर पर एक अलग संचार विभाग की स्थापना की है।
बड़े पैमाने पर समाज	नहीं	- प्रेस समाचार - सूचना - प्रचार - सीएसआर कार्यक्रम - वेबसाइट पर प्रदर्शन - फेसबुक और ट्विटर पेज	- पूरे वर्ष - पूरे वर्ष - पूरे वर्ष - पूरे वर्ष - पूरे वर्ष - पूरे वर्ष	एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते, समाज को अपने हितधारक के रूप में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है।

सिद्धांत: 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारियों और कामगारों का विवरण जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी	842	25	2.97%	845	84	9.94%
स्थायी के अलावा	6	-	-	5	-	-
कुल कर्मचारी	848	25	2.95%	850	84	9.89%
कामगार						
स्थायी	894	-	-	990	-	-
स्थायी के अलावा	4030	-	-	3200	-	-
कुल कर्मचारी	4924	-	-	4190	-	-

2. निम्न प्रारूप में, कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष					वित्त वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी	842	-	-	842	100%	845	-	-	845	100%
पुरुष	49	-	-	49	100%	801	-	-	801	100%
महिला	793	-	-	793	100%	44	-	-	44	100%
स्थायी के अलावा	6	-	-	6	100%	5	-	-	5	100%
पुरुष	4	-	-	4	100%	4	-	-	4	100%
महिला	2	-	-	2	100%	1	-	-	1	100%
कामगार										
स्थायी	894	-	-	894	100%	990	-	-	990	100%
पुरुष	837	-	-	837	100%	923	-	-	923	100%
महिला	57	-	-	57	100%	67	-	-	67	100%
स्थायी के अलावा	4030	4030	100%	-	-	3200	3200	100%	-	-
पुरुष	3819	3819	100%	-	-	3005	3005	100%	-	-
महिला	211	211	100%	-	-	195	195	100%	-	-



3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:-

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	4	0.57 करोड़	—	—
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक*	2	0.00	1	0.19 करोड़
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	913	0.25 करोड़	47	0.19 करोड़
कामगार	821	0.16 करोड़	56	0.14 करोड़

*02 पुरुष केएमपी का औसत पारिश्रमिक निदेशक मंडल में शामिल है

4. क्या कंपनी में ऐसा कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यापार द्वारा उत्पन्न या किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)

— नहीं

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विद्यमान आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए वास्तव में कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है। तथापि, कंपनी में लोक शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र विद्यमान है जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए क्रम में है। कॉर्पोरेशन में उपलब्ध शिकायत तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाता है और लोक शिकायत निदेशक का नाम, पद और पता आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत मेन्यू के अंतर्गत दिया गया है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) है। सचेतक (व्हिसलब्लोअर) नीति और आईसीसी के कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों के अंतर्गत भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए अंतर्निहित तंत्र है।

8. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं?

— हां

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	कोई बाहरी / तृतीय पक्ष संपरीक्षा नहीं की गई है। यद्यपि आंतरिक लेखा परीक्षा का एक मजबूत तंत्र है।
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें।

— लागू नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा प्रबलता का विवरण:

प्राचल	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियां
कुल बिजली खपत (क)	26.565513 एमयू	27.137634 एमयू	कारपोरेट कार्यालय और 100 मेगावाट से ऊपर के संयंत्र/परियोजनाएं शामिल हैं
कुल ईंधन खपत (ख)	81445 लीटर	65082 लीटर	
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	7.971465 एमयू	7.334462 एमयू	
कुल ऊर्जा खपत (क+ग)	34.536978 एमयू	34.472096 एमयू	
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा प्रबलता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपये में)	0.162 किलोवाट/रु.	0.163 किलोवाट/रु.	कारपोरेट कार्यालय



2. क्या संस्था में भारत सरकार के प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें।

नहीं। तथापि, टीएचडीसीआईएल ने कारपोरेट कार्यालय और सभी प्रमुख परियोजना स्थानों पर पुराने एसी को 5 स्टार रेटेड एसी से बदलने, एलईडी लाइट्स की संस्थापना, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर गीजर, रूफ टॉप सोलर आदि की संस्थापना जैसे ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	1457550	1464850
(ii) भूजल	98550	100350
(iii) तृतीय पक्ष जल	-	-
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	2880	2880
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	1476180	1483480
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1217605	1228380
टर्नओवर के प्रति रुपये में जल की प्रबलता (जल की खपत / टर्नओवर)	-	-
जल की प्रबलता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	-	-

4. क्या यूनिट ने शून्य तरल निस्तारण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

– नहीं

5. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :

प्राचल	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नाइट्रस ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों यानि जल, पवन और सौर – के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
सल्फर ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
सूक्ष्म कण (पीएम)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी प्रवणता का विवरण प्रस्तुत करें:

प्राचल	यूनिट	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ ₂ के समतुल्य मीट्रिक टन		
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ ₆ , एनएफ ₃ में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ ₂ के समतुल्य मीट्रिक टन		
टर्नओवर के प्रति रुपये कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रवणता (वैकल्पिक)			
— संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है			

वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों यानि जल, पवन और सौर – के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।

7. क्या संस्था में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।

— लागू नहीं



8. निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न हुआ कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	1.81	1.13
ई-कचरा (ख)	0.254	0.184
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	1.3915	0.469
निर्माण तथा विध्वंस (घ)	679200	820800.65
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	3.4	3.76
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। (जला हुआ तेल, प्रयुक्त टायर, स्नेहक, ट्रांसफार्मर तेल आदि) (छ)	59.837	61.35
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (कार्यालय / संयंत्र का गैर-बिक्री योग्य स्क्रेप) (ज)।	8.894	1.43
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+ज)	679275.5865	820868.973
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	1.46	0.77
(ii) पुनरुत्प्रेषण	88853.9	156057.1
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	6.42	6.74
कुल	88861.78	156064.61
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटाए विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0.5	0.45
(ii) लैंडफिलिंग	590401.6715	664801.067
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	0.944	0.372
कुल	590403.1155	664801.889

9. **अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

कारपोरेट कार्यालय / टाउनशिप, ऋषिकेश में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएँ निम्नानुसार हैं:

1. **कॉलोनी में जैविक व सूखे कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन**

जैविक और अजैविक कचरे के संग्रह के लिए सप्ताह के सभी दिनों में सभी कॉलोनियों और कार्यालय की सड़कों पर सुबह 07:30 बजे से 11:30 बजे तक एक टेंपो कैरियर चलता है। टेम्पो कैरियर में जैविक कचरा, अजैविक कचरा और मिश्रित कचरा स्थान के लिए एक पृथक्करण / विभाजन स्थान मौजूद है।

2. **बायो-गैस संयंत्र में मिश्रित कचरे से सूखे और जैविक कचरे को अलग करना**

टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों और कार्यालयों से कचरा एकत्र करने के बाद, टेंपो कैरियर को बायो-गैस संयंत्र के प्लेटफॉर्म पर खाली कर दिया जाता है, जहां दो मजदूर सभी स्रोतों से प्राप्त कचरा मिश्रण से जैविक कचरे और अजैविक कचरे को अलग करते हैं। बायो-कुकिंग गैस, जिसकी आपूर्ति स्थानीय आहार कैंटीन में की जाती है, का उत्पादन

करने के लिए बायो-गैस संयंत्र में जैविक कचरे को संसाधित किया जाता है।

3. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्लास्टिक कचरा निपटान**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सलाहकार के मार्गदर्शन में दिनांक 07.07.2019 को एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग-अलग अजैविक कचरे का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक कचरे जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए – बनाए गए हैं।

4. **अप्रयुक्त अजैविक कचरे का निपटान**

एकत्र किए गए सम्पूर्ण कचरे से जैविक कचरे और प्रयोग करने योग्य प्लास्टिक कचरे को अलग करने के बाद, शेष अपशिष्ट सामग्री को पुराने भंडारण क्षेत्र के पीछे जमीन में फेंक दिया जाता है। इस कचरे को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है ताकि क्षेत्र में दुर्गंध न फैले। गड्ढों को पूरी तरह से अनुपयोगी कचरे से भरने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है। परियोजना स्थलों पर इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है।



10. क्या संस्था में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालनाधीन कार्यालय स्थित हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन के प्रकार	क्या पर्यावरण के अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है?(हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।
1.	हेलॉग में बांध स्थल और हाट गांव, चमोली जिले में पावर हाउस साइट के साथ विष्णुगड पीपलकोटी एचईपी, पीपलकोटी	निर्माणाधीन एचईपी (444 मेगावाट)	विष्णुगड पीपलकोटी एचईपी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है, लेकिन केदारनाथ वन्य जीवन अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में स्थित है, इसलिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और शर्तों का पालन किया गया है।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

नाम और परियोजना का संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संचार (हां / नहीं)	प्रासंगिक वेब-लिंक
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	ईआईए अधिसूचना 2006 और इसके विभिन्न संशोधन	नवंबर-2020	हां	ईआईए अध्ययन प्रगति पर है	parivesh.nic.in
बोकांग बालिंग (200 मेगावाट)		सितंबर-2020	हां		

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है। (हां / नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां। संस्था, भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

क्र.सं.	कानून/विनियम / दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण दें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों या न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
लागू नहीं				

सिद्धांत 7 व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

टीएचडीसीआईएल दो संघों का सदस्य है।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जो संस्था के सदस्य हैं / इससे संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

—लागू नहीं

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन परिणाम संप्रेषित किए गए (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

2. निम्नलिखित प्रारूप में ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके/जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जारी है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम, जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर के तहत कवर किए गए (पीएएफ) %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	1725	91.76%	2.83 करोड़
2	विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना	उत्तराखंड	चमोली	559	94%	1.88 करोड़



3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

फीडबैक फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे <https://www.thdc.co.in/content/feedback&form> पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अंतिम रूप दी गई संचार कार्यनीतियों के अनुपालन में सभी प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है और इसे <https://www.thdc.co.in/content/communication&strategy> पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसी ने परियोजना स्तर पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की है। दायर की गई सभी शिकायतों को जीआरसी की आवश्यकता अनुसार समय-समय पर आयोजित बैठक में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2020-21 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2019-20 पिछला वित्तीय वर्ष
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे ली गई सामग्री	61.38%	35.49%
सीधे जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से ली गई सामग्री	उपलब्ध नहीं है	

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए विद्यमान तंत्र का वर्णन करें।

मेल के माध्यम से मानक फीडबैक प्रारूप पर लाभार्थियों से पूरे वर्ष शिकायत और प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मानदंड	टीएचडीसीआईएल विद्युत का उत्पादन कर रहा है और संबंधित राज्यों की वितरण कंपनियों को आपूर्ति कर रहा है। इसलिए लागू नहीं है।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2020-21 (चालू वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 2019-20 (पिछला वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी			शून्य			
विज्ञापन						
साइबर सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी						
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य						

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापिसी मंगाने की घटनाओं का विवरण:

	संख्या	वापिस मंगाने के कारण
स्वेच्छा से वापिस मंगाने की घटना	लागू नहीं	
विवशता से वापिस मंगाने की घटना		

5. क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई फ्रेमवर्क/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

वर्तमान में टीएचडीसीआईएल में साइबर सुरक्षा नीति नहीं है। तथापि, साइबर सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापिस मंगाने की घटनाओं का पुनः होना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शास्ति/की गई कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। लागू नहीं

